महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–279 / नौ–9–14–161ज / 12टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उ0प्र0।
(4) समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ0प्र0।

नगर सविकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 8 मार्च,2014

विषय– प्रदेश में रिलायन्स एवं अन्य टेलीकाम कम्पनियों द्वारा भूमिगत केबिल डालने में शासकीय आदेशों में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुये की जा रही रोड कटिंग को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1485 / नौ–9–2012–161ज / 12,दिनांक 15.10.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में और आरम्भिक तौर पर ग्रेटर नोएडा,नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, मेरठ, रामपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर,वाराणसी और इलाहाबाद नगरों में 4जी ब्रॉडबैण्ड वायर लाइन / वायर एक्सेस सर्विस एच0डी0डी0 विधि से ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने,ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट स्थापित करने तथा ओवरहेड वायर के लिये पोल लगाने के सम्बन्ध में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी सम्बन्ध में सीवर लाइन / पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु काटी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना / मरम्मत के सम्बन्ध में मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन की ओर शासनादेश संख्या–5033 / नौ–9–5–11–273सा / 2011,दिनांक 09.12.2013 द्वारा भी निर्देश जारी किये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि रिलायन्स एवं अन्य टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुये मानकों के विपरीत रोड का कटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिससे सड़कें एवं गलियॉ क्षतिग्रस्त हो रही हैं तथा दुर्घटनायें भी घटित हो रही हैं। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

3. अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिलायन्स एवं अन्य टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा जहॉ भी उक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुये कार्य कराये जा रहे हैं, वहॉ उन संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्य को तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाय तथा रोड कटिंग में हुई क्षति की पूर्ति हेतु संस्था को नोटिस जारी कर तत्काल वसूली की कार्यवाही की जाय। जिन संस्थाओं द्वारा शासकीय आदेशों की अवहेलना करते हुये अनधिकृत रूप से रोड कटिंग का कार्य कराया जा रहा है,उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 इत्यादि दर्ज कराने की कार्यवाही की जाय।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

8/3/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Spgo-2

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,गृह/लोक निर्माण/आई0टी0एवं इलेकट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन।
3. पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4. निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश
5. वेबसाइड पर अपलोड हेतु।
6. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

08/8/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।